न्यायालय उपखण्ड अधिकारी केकड़ी, जिला–अजमेर

मुकदमा नम्बर 319/2018

उनवान

रामदेव पुत्र रामनाथ माली निवासी ग्राम सावर

बनाम

1. अलोल पत्नि रतनलाल जाति गुर्जर निवासी सावर तहसील सावर
2. राजस्थान सरकार जरिये तहसीलदार सावर जिला अजमेर

अप्रार्थीगण

3. लक्ष्मण पुत्र रामनाथ
4. रतन पुत्र श्योनाथ
5. छोटू पुत्र श्योनाथ
6. कमला पत्नि जगदीश
7. राजू पुत्र जगदीश
8. सोनू पुत्र जगदीश
9. मुकेश पुत्र जगदीश

तमाम जाति माली निवासी सावर तह. सावर जिला अजमेर

प्रफॉर्मा अप्रार्थीगण

प्रार्थना पत्र अंतर्गत धारा 131,136 एल.आर.एक्ट

–:: आदेश ::–

दिनांक 17.12.2021

संक्षेप में प्रकरण के तथ्य इस प्रकार है कि ग्राम सावर की जमाबन्दी सवंत 2041 के खाता स. नया–पुराना 737–795 खसरा नम्बर 2551 रकवा 02–10–00 चाही प्रथम जिसके वर्तमान जमाबन्दी स. 2073–76 के अनुसार विवरण इस प्रकार है :–

खाता स.	खसरा नम्बर	रकवा	किस्म
1280	2840	0.12	बारानी उत्तम
1280	2908	0.20	बरानी उत्तम

जमाबन्दी स. 2073–76 के अनुसार आराजी विवरण निम्न प्रकार है:–

खाता स.	खसरा नम्बर	रकवा	किस्म
1103	6464/2840	0.09	बा.उ.

वर्तमान खसरा नम्बर	रकबा	पुरानी ख.न.	रकबा
2839/5239	0.04	2541	0.04

Signature Not Verified

Digitally signed by Vikas Pancholi
Date: 2022.01.17 13:53:11 IST
Reason: SelfAttested

उपखण्ड अधिकारी
केकड़ी (अजमेर)

Scanned with CamScanner

खाता स. 737-795 मे वर्णित आराजीयात प्रार्थी एंव प्रफॉर्मा अप्रार्थीगण के पूर्वजों के नाम चली आ रही थी। राजस्व कर्मचारियो एंव अधिकारियो ने लापरवाही कार्य करते हुये उक्त वर्णित आराजीयात का रकबा नये राजस्व नक्शा ट्रेस मे छोटा कर घटा दिया तथा अन्य नये खसरा नम्बर 2839 / 5239 रकबा 0.04 है. जिसके पुराने खसरा नम्बर 2541 है एक अतिरिक्त खसरा नम्बर नक्शा ट्रेस मे गलत एंव मनमाने ढग से तरमीम कर दिया जो वर्तमान मे अप्रार्थी स. 1 के नाम खातेदारी मे दर्ज है। जो गलत होने से दुरूस्त किया जाकर विलोपित किया जाना उचित एंव न्याय संगत है उक्त खसरा नम्बर 2839 / 5239 रकबा 0.04 है. का ख.न. पुराना 2551 से कोई वास्ता एंव सरोकार नही है बल्कि खसरा नम्बर पुराने 2541 से बना खसरा नम्बर है जो राजस्व कर्मचारियों की लापरवाही से ख.न. 2541 के स्थान पर पुराने ख.न. 2551 कैनगे नक्शा ट्रेस पर तरमीम कर दिया गया जो गलत है जिसे दुरूस्त किया जाना उचित एंव न्याय संगत है। प्रार्थी को इसकी जानकारी दिनांक 15.10.2018 को हुई जब प्रार्थी स. 1 ने धमकी दी कि मे तुझे इस आराजी से बेदखल [illegible]ा । वाद वर्णित आराजीयात के राजस्व रिकॉर्ड में दुरूस्ती करवाने हेतु प्रार्थी ने अप्रार्थी स. 2 से निवेदन किया तो टालमटोल करते रहे अतः प्रार्थना पत्र प्रस्तुत करना आवश्यक हआ । प्रार्थना पत्र प्रस्तुत का मूल कारण न्यायालय के क्षैत्राधिकार में दिनांक 5.11.2018 को जब प्रार्थी ने राजस्व रिकॉर्ड प्राप्त किया तथा रिकॉर्ड में प्रविष्ठि दुरूस्त करने का निवेदन किया पर किसी प्रकार की कार्यवाही नहीं की। ग्राम सावर की वादग्रस्त आराजीयात राजस्व रिकॉर्ड में नवीन ख.न. 2839 / 5239 रकबा 0.04 है. को विलोपित किया जावें तथा राजस्व रिकॉर्ड नक्शा ट्रेस मे जो भिन्नता है उसे पूर्ववत राजस्व नक्शे अनुसार तरमीम किया जावे।

प्रकरण श्रवणाधिकार एंव क्षैत्राधिकार का होने से दर्ज रजिस्टर किया जाकर अप्रार्थीगण को जरिये सम्मन तलब किया गया । अप्रार्थी स. 1 की ओर से श्री चेतन धाबाई अधिवक्ता वकालत नामा व जवाब प्रस्तुत किया । जवाब में बताया कि प्रार्थी के कथन गलत है। अप्रार्थी स. 1 की खरीदशुदा आराजी है जिस परी अप्रार्थी स. 1 का कब्जा चला आ रहा है। प्रार्थी अपने कथन दस्तावेजी एंव साक्ष्य से स्वयें सिद्व करें। अप्रार्थी स. 1 का खरीद की दिनांक से आराजी ख.न. 2839 / 5239 रकबा 0.04 है. पर कब्जा चला आ रहा है। प्रार्थना पत्र प्रस्तुत करने का मूल कारण 15.10.2018 को दर्शाया गया जो गलत है। इनको पूर्व से भूमि कय करने की जानकारी थी। अतः प्रार्थी का प्रार्थना पत्र खारिज किया जावें।

अप्रार्थी स. 2 तहसीलदार सावर से जवाब मंगवाया गया जिसमें तहसीलदार सावर द्वारा पत्राक भू.अ. / 2020 / 1159 दिंनाक 21.8.2020से प्रस्तुत किया जिसके अनुसार वाद ग्रस्त आराजी खसरा नम्बर साविक 2551 रकवा 2-10-00बीघा रामनाथ,श्योनाथ,हीरालाल पिता नारायण जाति माली की खातेदारी भूमि थी। खसरा नम्बर 2551 रकबा 2-10-00बीघा के मिलान क्षैत्रफल से हाल खसरा नम्बर 2840 रकवा 0.21 व ख.न. 2908 रकबा 0.20 कुल 0.41 है. आराजी खसरा नम्बर 2541 रकबा 2-14-00 के हाल खसरा नम्बर 2924 रकबा 0.40, 2839 / 5239 रकबा 0.04 बने है। आराजी खसरा नम्बर 2541 व 2551 के मध्य दूरी लगभग 1 किमी. हैं। खसरा नम्बर 2924+2839/5239=0.40+0.04=0.44 है. बनता है व खसरा नम्बर 2541रकबा 2-14-00 बराबर 0.44 है. बनता हैं । आराजी खसरा न. 2839 / 5239 रकबा 0.04 है. की तरमीम अपने मूल स्थान से एक किमी. दूर आराजी खसरा नम्बर 2840 की उत्तरी दिशा में कर दी गई जो गलत है मिलान क्षैत्रफल से बना खसरा नम्बर 2839 / 5239 गलत है। उक्त खसरा नम्बर के बजाय 2924 / 5239 बनना चाहिये था। वर्तमान नक्शे में 2908+2840 रकबा 2839 / 5239 का उक्त स्थान से विलोपित करने पर सही बैठता है।

Signature Not Verified
Digitally signed by Vikas Pancholi
Date: 2022.01.17 13:53:11 IST
Reason: SelfAttested

उपखण्ड अधिकारी
केकड़ी (अजमेर)

Scanned with CamScanner

अप्रार्थीगण के जवाब प्रस्तुत होने पर बहस सुनी गई। प्रार्थी के वकील ने प्रार्थना पत्र में अंकित कथन दोहराया तथा तरमीम सही करने की प्रार्थना की । अप्रार्थी के वकील ने जवाब प्रार्थना पत्र मे अंकित कथन को दोहराते हुये प्रार्थना पत्र खारिज करने का निवेदन किया ।

पत्रावली का अवलोकन किया गया। वकील पक्षकारान की बहस पर गौर किया । वाके ग्राम सावर की आराजी खसरा नम्बर साबिक 2551 रकबा 2-10-00बीघा रामनाथ,श्योनाथ,हीरालाल पिता नारायण जाति माली की खातेदारी भूमि थी। खसरा नम्बर 2551 रकबा 2-10-00बीघा के मिलान क्षैत्रफल से हाल खसरा नम्बर 2840 रकबा 0.21 व ख.न. 2908 रकबा 0.20 कुल 0.41 है. आराजी खसरा नम्बर 2541 रकबा 2-14-00 के हाल खसरा नम्बर 2924 रकबा 0.40, 2839/5239 रकबा 0.04 बने है। आराजी खसरा नम्बर 2541 व 2551 के मध्य दूरी लगभग 1 किमी. हैं। खसरा नम्बर 2924+2839/5239=0.40+0.04=0.44 है. बनता है व खसरा नम्बर 2541रकबा 2-14-00 बराबर 0.44 है. बनता है । आराजी खसरा न. 2839/5239 रकबा 0.04 है. की तरमीम अपने मूल स्थान से एक किमी. दूर आराजी खसरा नम्बर 2840 की उत्तरी दिशा में कर दी गई जो गलत है मिलान क्षैत्रफल से बना खसरा नम्बर 2839/5239 गलत है। उक्त खसरा नम्बर के बजाय 2924/5239 बनना चाहिये था। वर्तमान नक्शे में 2908+2840 रकबा 2839/5239 का उक्त स्थान से विलोपित किया जाता है। तहसीलदार सावर राजस्व रिकॉर्ड एंव नक्शा ट्रेस में अंकन सही करें। बाकि इन्द्राज यथावत रहेंगे। खर्चा फरिकेन अपना-अपना वहन करें।

आदेश खुले न्यायालय में सुनाया गया।

(विकास पंचोली)
उपखण्ड अधिकारी
केकड़ी (अजमेर)

उपखण्ड अधिकारी केकड़ी जिला अजमेर

Signature Not Verified
Digitally signed by Vikas Pancholi
Date: 2022.01.17 13:53:11 IST
Reason: SelfAttested

Scanned with CamScanner